कार्यालय वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर सामान्य वनमंडल बुरहानपुर म.प्र.

क्रमांक/ मा.चि./2022/4841

Tel. No - 07325-251280, Fax -252305

बुरहानपुर दिनांक 20 JUN 2022

EMail

प्रति

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

नगर पालिका परिषद नेपानगर

विषय :– सी.सी. सडक एवं आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य हेतु अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र कं./1188 दिनांक 10.06.2022 ।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आपके द्वारा वनसंरक्षक अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाईन साफ्टवेयर परिवेश के माध्यम से वनपरिक्षेत्र नेपानगर के अंतर्गत वार्ड क्र.18 भीलट बाबा मंदिर से संत बूढे बाबा आश्रम होते हुए कब्रस्तान तक सी.सी रोड एवं वार्ड क्र 03 में हुनमान मंदिर पहुंच मार्ग तक सी.सी रोड तथा वार्ड क्र. 01 में आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु ऑनलाईन प्रकरण कं. FP/MP/ROAD/156681/2022 पंजीबद्ध कर प्रस्तुत किया गया हैं।

उक्त प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया हैं, कि आपके द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रमाण पत्र कलेक्टर जिला बुरहानपुर से व्यपवर्तन एवं व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया तथा आपके अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करे कि संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से संपर्क कर प्रस्तावित मार्ग एवं आंगनवाडी भवन हेतु क्षेत्र का संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण करते हुए फोटोग्राफ्स 50 के.बी. से कम की फोटो जे.पी.जी. फाईल में, प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना कर मार्ग की लंबाई, चौडाई 100–100 मीटर की दूरी पर जी.पी.एस. रीडिंग सहित वनमानचित्र पर दर्शातें हुए प्रभावित होने वाले क्षेत्र की गणना कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क भी जमा नहीं की गई हैं।

अतः उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति कर पंजीयन शुल्क राशि रूपये–1000/–एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये–5000/–इस प्रकार कुल राशि रूपये–6000/–बजट मद 0406–01–800–229 में ऑनलाईन एम.पी.ट्रेजरी के माध्यम से वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर के नामें जमा करावें, ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकें।

वनमंडलाधिकारी

बुरहानपुर वनमंडल सा.बुरहानपुर

पृष्ठा.क्र./मा.चि./2022/4842

बुरहानपुर, दिनांक 20 JUN 2022

प्रतिलिपिः–

1– अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य वनसंरक्षक खंडवा वृत्त खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– कलेक्टर जिला बुरहानपुर की की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4– उपवनमंडलाधिकारी नेपानगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण की जांच कर आपकी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।**(संलग्नः– उपरोक्तानुसार)**

5– वनपरिक्षेत्राधिकारी नेपानगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आप आवेदक विभाग के अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण कर विस्तृत जांच प्रतिवेदन आपके स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करे।

वनमंडलाधिकारी

o/c

बुरहानपुर वनमंडल सा.बुरहानपुर